

खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमत्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

(2)- समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी।

11- आरक्षण- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े गर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमत्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/ विकलांगजनों(केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनाने पर) / भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमत्य होगा।

नोट- आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर ले एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

12 - चयन का आधार- लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। अबर अभियन्ता के पदों पर चयन किए जाने हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम निम्नवत है :-

अवर अभियन्ता (सिविल / विद्युत / यांत्रिक) के पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम
प्रश्नगत परीक्षा 02 चरणों में आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा में 02 प्रश्नपत्र होंगे, जिनके कुल अधिकतम अंक 750 होंगे तथा साक्षात्कार के अंक 250 होंगे। इस प्रकार से अभ्यर्थियों का चयन कुल 1000 अंकों के आधार पर किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है—
परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

प्रथम चरण

लिखित परीक्षा हेतु विषय तथा पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा तथा प्रश्नपत्र चर्चुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रश्नारेक्षण के होंगे।

कठरण	प्रश्नपत्र भाग		विषय	प्रश्नों की संख्या	नियोजित अंक	समयावधि	अन्युक्ति
	प्रश्नपत्र-प्रश्नम	भाग-1					
1	प्रश्नपत्र-प्रश्नम	भाग-2	सामान्य हिन्दू दावा अंग्रेजी	75	75	दो घण्टा	अवर अभियन्ता सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक दीनों के लिये पृष्ठक-पृष्ठक प्रश्नपत्र द्वारा सार्वत्र जायेगे।
			सामान्य बुद्धि परीक्षण तथा सामान्य जानकारी, सामान्य कम्प्यूटर डाटा।	100	300	लीस मिनट	
2	प्रश्नपत्र-हिन्दी	भाग-1	द्विजीवित्यादिन, विद्युत इलेक्ट्रोनिक्यादिन एवं यांत्रिक इलेक्ट्रोनिक्यादिन (भवन जानकारी, उद्दीपनादिन, यांत्रिक इलेक्ट्रोनिक्यादिन, दूरध्वानीदिन इलेक्ट्रोनिक्यादिन, दूरध्वानी पर्यावरण, वैज्ञानिक विद्यानी इलेक्ट्रोनिक्यादिन)	125	375	दो घण्टा	
			भाग	375	850		
	हिन्दीय अवरण	साक्षात्कार		—	250		
		सुन्दर चौपाल		—	1000		

सामान्य अंग्रेजी— इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के प्रतीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा के रत्नर द्वारा होगा।

भाग-2

सामान्य बुद्धि परीक्षण— इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य किसी नयी प्रतिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण, पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। अतः इस प्रश्नपत्र में अनुदेशों को समझने, सम्बन्धों, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक कियाओं पर आधारित प्रश्न होंगे।

सामान्य जानकारी— इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों के द्वारों और के वातावरण के बारे में उनकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता अंकने के लिए है। इस प्रश्नपत्र में सम-सामायिक घटनाओं, प्रतिविवरण तथा विद्युत द्वारा देखा जाने वाले तथ्यों जिनमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी समिलित होंगे, के साथ-साथ अभ्यर्थियों के वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान से संबंधित प्रश्न रखे जायेंगे।

सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान— इस प्रश्नपत्र में प्रैरीफैरिकल डिवाइस, नम्बर सिस्टम, मेमोरी, इन्टरनेट, मैडिम, आपरेटिंग सिस्टम, भाषाये, एम०एस० आफिस, एम०एस०वर्ड, एम०एस०एक्सेल, ई-मेल से साम्बंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

इस प्रश्नपत्र में बिल्डिंग मैटीरियल्स, इस्टीमेटिंग, कारिटंग एण्ड वैल्युएशन, सर्वेंडिंग, रवायल मशीन्स, हाइड्रोलिक्स ट्रान्सपोर्टेशन इन्जीनियरिंग, इच्चायरलमैटल इच्चीनियरिंग, रेट्पर्ड टेरेट्स, यूजेज एण्ड मैन्यूफॉचर/क्वायरिंग आफ मैटीरियल्स, इस्टीमेटिंग एनालिसिस आफ रेट्स, मैथड एण्ड यूनिट आफ मेजरमेन्ट, अर्थवर्क, त्रिकवर्क (माडयुलर/ट्रेडीशनल विक्स), आर०सी०सी० वर्क, ट्रिम्बर वर्क, पेन्टिंग, शटरिंग, वैल्यू एण्ड कास्ट, स्केप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू मैथड आफ वैल्यूवेशन, ट्रॉब्वेल, आइसोलेट्स एण्ड कम्पाइन्ड पुटिंग्स, पाइल्स एण्ड पाइल्स कौप्स, सिम्पन्स ल्ल, सेंटरलाइन मैथड, मिड सेक्शन फामिल, प्रिन्सिपल आफ सर्वेंडिंग मेजरमेन्ट आफ डिस्ट्रेंस, वर्किंग आफ प्रिजेटिक कम्पास, प्लैन ट्रेबल सर्वेंडिंग, थैंडोलाइट ट्रावरिंग, लेबलिंग, मैथड आफ कारन्टिंग, टेम्पोरी एण्ड परमानेन्ट एडजेस्टमेन्ट आफ डम्पीलेबल, अर्थवर्क कैलक्युलेशन, सर्वेंडिंग

इक्युपमेन्ट, ओरिजन आफ स्वायल, फेज डायग्राम, डिफिनेशन वाइड रेशियो, वाटर कान्ट्रेन्ट, आई०एस०आई० रवायल वलासीफिकेशन, इफिटिव स्ट्रेस, कन्सालीडेशन आफ स्वायल, प्रिन्सिपल आफ कन्सालीडेशन, नार्मली कन्सालिडेड स्वायल, एक्टिव एण्ड पैशिव अर्थ प्रेशर्स, फल्स्यूड प्राप्टर्ज, मेजरमेन्ट आफ फलो, फलो इन ओपेन पैप्स एण्ड ट्रवबाइन, हाइवे इच्चीरियरिंग, ट्रिफिक इच्चीनियरिंग, स्वीपर्स, हाइवे ड्रैनेज, रेलवे इच्चीनियरिंग, ट्रैक ज्यामिट्रिक, व्हालिटी आफ वाटर, नीड आफ सेनीटेशन, सोल्वेज सिस्टम, सरफेस वाटर ड्रैनेज, एयर पल्शन-कार्जेस, इफिटिव्स, कार्ड्र, ट्रॉप आफ कैटरमिनेट एण्ड इनडिप्रमिनेट, डैस्स एण्ड रिटेनिंग वालस, स्लोप डिक्लोवशन सिमनली सोल्वेज एण्ड फैन्टीलैट एण्ड ट्रैकनोलॉजी, प्राप्टरी एण्ड यूजेज आफ कन्कीट, इर्पीटेस आफ वाटर व्हालिटी, वाटर शीमेट रेशियो, स्टोरेज वैचिया, प्रिसिंग, रिपेयर एण्ड मेटीरील्स आफ कन्कीट ट्रक्टर, एयर, आर०सी०सी०सी० डिजाइन कोलचनश में बी बेस्ड आन बोथ लिमिट स्टेट एण्ड वर्किंग रेट्स मैथड, स्टील डिजाइन एण्ड कर्स्ट्रक्शन आफ स्टील कालम, बीम रुफ ट्रूपेजप्लेट एण्ड ग्रिड्स) रो संबंधित प्रश्न रखे जायेंगे।

विषय

इस प्रश्नपत्र में बेसिक कानसेट्स सार्किट ला मैगेनेटिक सार्किट, ए०सी०फॅट्डमेन्ट्स, मेजरमेन्ट एण्ड भेजरिंग इन्स्ट्रुमेन्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फैक्शनल किलोवाट मोटर्स एण्ड रिंगल फेज इडक्शन मोटर्स, जेनरेशन, ट्रांसफोर्मर एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टीमेशन एण्ड यूटिलाइटेशन एण्ड इलेक्ट्रिकल एनजी, जेनरेशन एण्ड रेजस्ट्रेशन आफ स्टील कालम, पावर, एनजी, सिम्पल सार्किट बील्यूशन, डिफेरेन्स काइल्डेशन आफ मैटीरियल्स, कान्सार्ट आफ फलक्स, ए०सी०ए०फ०, मैग्नेटिक केलकुलेशन फार कल्डकट्स आफ डिफेरेन्ट कार्फिओशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्डक्शन, सेल्फ एण्ड स्पूच्युअल इंडक्शन, पॉलीफेज रिस्ट्रम, स्ट्रार एण्ड डेटा कनेक्शन, थीमेट रेशियो, पावर, एवेरेज वैल्यू आफ अल्ट्रेनेटिंग वैल्यू, मेजरमेन्ट आफ पावर(1 फेज एण्ड 3 फेज बोथ एविट्ड एण्ड रिपिटर) एण्ड एनजी, मेजरमेन्ट आफ फिक्वेंसी एण्ड फेज एंगल, आमेटर एण्ड बोल्टमीटर बोथ पुविंग आयल एण्ड मूविंग आयरन, एक्टेशन आफ रेन्ज बोल्टमीटर, मल्टीमीटर्स, यूज आफ सी०आर०ओ०, सिग्नल जेनरेटर, बार्थ फाल्ट डिटेक्शन, डी०सी०मैशन-कार्द्रक्शन, बेसिक प्रिन्सिपल आफ डी०री०प०दोर्स एण्ड जेनरटर्स, मैथड आफ ब्रेकिंग शीटर, ट्रांसफोर्म-कान्सार्ट आफ आपरेशन, योल्टेट रेग्युलेशन, आदो ट्रांसफोर्मर, ३फेज इंडक्शन मोटर्स, इफेक्ट आफ वॉल्ट्ज एण्ड फिक्वेंसी वेरीएशन आन स्पीड-वैक्टर्स एण्ड पालीकेशन-रा आफ फैक्शनल किलोवाट मोटर्स एण्ड रिंगल फेज इन्डक्शन मोटर्स, जेनरेशन आफ 3 फेज डॉ०ए०ए०फ आमेचर रिक्शन, वॉल्टेज रेग्युलेशन, पेरलल आपरेशन आफ 2 अल्टरेनटर्स, स्टीमेशन आफ लाइटिंग स्कीम्स इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स रेग्युलेशन आफ मशीन एण्ड रिलीवेट आई०ई०ज०ल्स, अर्थिंग प्रिविट्सेस एण्ड आई०ई०ज०ल्स, टाइप आफ पावर रेटेशन्स, लोट फैक्टर्स, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कार्स्ट आफ जेनरेशन इन्टरकनेशन आफ पावर रेटेशन्स, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेन्ट, कैबिन-डिफैन्ट टाइप्स आफ कैबिन, कैबिन रेटिंग एण्ड डिरेटिंग फैक्टर, वैरियस टाइप आफ ट्रैकिंग, टाइप्स आफ फाल्ट्स, शार्ट सार्किट, रिवर्चीयर्स-रेटिंग आफ स्किल्स ब्रेक्स्ट, प्रार्टेक्शन आपोन्ट अर्थ लिक्ज़ / ओवर करेन्ट, एपिसिएन्ट्री आफ डिफेरेन्ट शिस्टम, इलुमीनेशन, इलेक्ट्रिक लीटिंग, इलेक्ट्रिक लिविंग मूमेन्ट एण्ड शियर कोर्स डायग्राम, स्ट्रेस

इन कम्पोजिट चार्स, टारिंग आफ स्कूलर साफ्ट, थिन वाल्च प्रेशर वैसल्स, प्राप्टर्ज आफ प्योर सल्वारेस, इन्ट्रोड्क्शन आफ स्टीम ट्रेबल विद रेसपेक्ट दू र्टीम जेनरेशन प्रोसेस, वेट एण्ड सुपरहीटेड रेटेस, डिफेनेशन आफ ड्राइनेस फैक्शन आफ स्टीम, डिग्री आफ सुपरहीट आफ स्टीम, फर्स्ट आफ ना आफ थर्मोलायनमिक्स, कन्कीट आफ स्टीम स्टेड स्टीमी फलो, स्टीमी स्टेड स्टीमी फलो एनजी इक्यूशन, सेकेन्ड ला आफ थर्मोलायनमिक्स, डिफेनेशन आफ सिक्स, सोर्स रिजर्वारिंग आफ हीट, हीट इजन, हीट पम्प एण्ड रिफीजरेटर, एयर स्टेंडर्ड साइकिल्स फार आई०सी० इजन, डीजल साइकिल, आई०सी० इजन परफार्मेन्स, जैनकाइन साइकिल एफीसिएन्ट्री विद एण्ड विदाऊट पम्प नर्क व्यायालर्स क्लासीफिकेशन, रेपिसिफिकेशन, किटिंग्स एण्ड एसेसीज, एयर कम्प्रेशन एण्ड देशर साइकिल्स, प्रिन्सिपल आफ रेफीरेशन प्लान्ट, नॉजिल एण्ड स्टीम टर्बाइन्स, फ्लूड मशीन एण्ड मशीनरी, फ्लूड रेटेलिंग, मीजरमेन्ट आफ फ्लूड प्रेशर, हाइड्रोलिक टर्बाइन्स, सन्ट्रीफ्यूल

12 (1)- सारणी-1 के पद क्रमांक 03 (iii) पर उल्लिखित पद उपवास्तुविद तथा क्रमांक-04 का (iv व v) तकनीकी सहायक के पदों हेतु चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अवर अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियमावली-2014 के उपबंधों

तथा सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली-2002 यथासंशोधित 2014 एवं उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली- 2015 अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत होगा। तदनुसार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि से यथासमय सूचित किया जाएगा।

13- वरीयता- अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभागों की वरीयता का विकल्प देना होगा। आयोग, अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में ग्रास किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए दी गयी वरीयता के आधार पर यथा संभव विभाग आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14- अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश -

- (1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- (2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- (4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या किर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात् (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।
- (8) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कायालिय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- (9) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।